रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062021-227332
CG-DL-E-02062021-227332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1974] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943
No. 1974] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISHTHA 11, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

का.आ. 2128(अ).—एक प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3582 (अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 13 अक्तूबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, रामनगर वन्यजीव अभयारण्य जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र जम्मू जिले में, जम्मू शहर तहसील के नागरिक अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जम्मू वन संभाग के रामनगर खंड के कम्पार्टमेंट 1 से 4 में शामिल है। रामनगर वन्यजीव अभयारण्य जम्मू शहर के उत्तरी सीमांत पर स्थित वन के एक छोटा हरित पैच है जिसे शहर के एकमात्र हरित फुफ्फुस के रूप में जाना जाता है। अभयारण्य को सरकारी आदेश सं.136 तारीख 10 अप्रैल, 1990 को अधिसूचित किया गया था। यह वन्यजीव संरक्षण विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और इसका प्रबंधन जम्मू वन्यजीव प्रभाग के माध्यम से किया जाता है। अभयारण्य जम्मू वन प्रभाग के रामनगर श्रेणी के रामनगर खंड के कम्पार्टमेंट 1,2,3, और 4 में शामिल है और 12.75 वर्ग किलोमीटर (एस.आर.ओ के अनुसार 31.5 किलोमीटर) क्षेत्र में आच्छादित है। क्षेत्र में सीमांकित वन शामिल है और यह मोटे तौर पर कील/खूंटे के आकार का है। यह क्षेत्र बस्तियों से घिरा हुआ है और भारी जैविक दबाव का सामना करता है। यह वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र वनस्पति और जीवजंतु की विविधता के समृद्ध संग्रह का भंडार है;

और, हाल ही में वनस्पति अध्ययन के अनुसार रामनगर वन्यजीव अभयारण्य में पौधों की 195 से अधिक प्रजातियों का आश्रय है जिसमें जड़ी-बूटी, झाड़ियां, बेलें और वृक्ष शामिल हैं। फाइटो विविधता के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि वन का यह छोटा पैच जम्मू के आसपास वन क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक विविध और समृद्ध है। वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र के इस पैच के जीवजंतु प्रजाति में से कुछ, जिसमें सामान्य भारतीय तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, बनैला सूअर, नीलगाय, साही, लाल जंगली पक्षी, मोर, पायथन, रसेल वाइपर, कोबरा उल्लू शामिल हैं, अस्तित्व और संरक्षण पाते हैं;

और, यह क्षेत्र के साथ मिश्रित झाड़ी वनों के साथ कभी-कभी चीड़ वृक्षों से आच्छादित रहता है। चैंपियन और सेठ द्वारा संशोधित वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य की वनस्पति प्रमुख समूह "उप-उष्णकटिबंधीय उत्तरी मिश्रित शुष्क पर्णपाती वनों" के अंतर्गत आती हैं। अभयारण्य में कई प्रकार के उप-उष्णकटिबंधीय चौड़े पत्तों वाले वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख अकाकिया मोडस्टा है। अभयारण्य में मुख्य वनस्पति में फुल्लाई (अकैशिया मोदेस्टा), बबूल (अकैशिया निलोटीका), खैर (अकैशिया कैटेचु), हलदीन (अदीना कार्डिफ़ोलिया), बाएल (ऐगले मार्मेलोस), सिरिस (अल्बिजिया लेबेक), खनवाल (बाउहीनिया पुरपुरिया), सिल्क ट्रे (बोम्बक्स केइबा), शिशम (डालबेर्गिया सिस्सू), तून (तून किलिअटा), बेर (जिजिफस मॉरिटियना), आदि उपलब्ध है;

और, रामनगर वन्यजीव अभयारण्य में स्तनधारियों में नीलगाय (बोसेलाफुस ट्रागलोकामेलुस), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), मुंजक (मुनटीक्स मुनतजक), रहेसुस बंदर (मकाका मुलाट्टा), सियार (कैनिस ऑरियस), खरगोश (लेपुस निगरिकोल्लिस), साही (हायस्ट्रीक इंडिका), बनैला सूअर (सस स्क्रोफ़ा), नेवला (पेस्टेस एड्वर्डसी), आदि पाए जाते हैं। जबकि संरक्षित क्षेत्र से पक्षी-जीव सफेद बैक्ड और बंगाल गिद्ध (जिप्स बेंगालेंसिस), शिकरा (अक्सिपिटेर बाडिउस), ब्लू रॉक फाख्ता (कोलुम्बा लिविया), कोयल (इंडयनामयउस स्कोलोपाकेया), ग्रीन बारबेट (मागलाइमा जेयलानिका), हाउस स्विफ्ट (अपस अफ्फिनस), छोटा ग्रीन बी-ईटर (मेरोपस ओरिइंटेलिस), सामान्य वूड श्राइक (टेफरोडोरिनिस पोंडीकेरिअनुस), वाइट चेक्ड बुलबुल (पयनोनोटस लेउकोगेनयस), टिक्केल फ्रोवेर पेक्कर (डीकेउम एरीथ्रोरिन्छा), पाइड बुश चैट (सैक्सिकोला कैपरैटा), वाइट आई (जोस्टेरोपस पाल्पेरबरोसा), आदि अभिलिखित किए गए हैं। संरक्षित क्षेत्र से सरीसृप जैसे रसेल्स पृथ्वी बोआ (एरिक्स कोनिकस), जॉन्स पृथ्वी बोआ (इरयक्स जोहनि), भारतीय चीता (पायथन मोलुरस मोलुरस), बिल्ली सांप (बोइगा ट्रिरगोनाटा), सामान्य भारतीय क्रैट (बुंगारूस केइरूलेउस), रसेल वाइपर (विपेरा रूस्सेल्ली), आदि है। जबकि तितलियों की प्रजाति जैसे पैपिलियो डिमोलस डिमोलस, पैपिलियो पोलयटेस रोमुलोउस, पार्नास्सिउस डेल्फिउस अलकिंसोनी, डानाउस लिमिअके लेओपरडुस, पेइरिस ब्रास्सिकय, कटोप्सिलिया पयरांथे पयरांथे, मायकालेसिस मिनेउस मिनेउस, वाप्थिस्मा केयलोनिका हुइबनेकि, फलांटा फलांटा, इयथालिया अकोंथेया, आदि अभिलिखित की गई है;

और, जम्मू शहर के विस्तार और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए, इस वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र के आसपास के शेष अवशिष्ट वन पैचों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है । इसके साथ ही हितधारकों के हितों और घनी जनसंख्या वाले जम्मू शहर के प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग पर भी विचार किया जाना चाहिए। सरकार की वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के चारों तरफ झटके सहन करने वाला सुरक्षा कवच बनाने की सरकार की नीति है जिससे जंगली पशुओं को भोजन, आश्रय, प्रसव और जैवविविधताओं हेतु आवागमन सुनिश्चित करने के लिए गलियारे मिल सकें। उच्चतम न्यायालय के निदेशों ने इसे और दृढ़ता दी है;

और, रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के जम्मू जिले के रामनगर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.850 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार रामनगर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) किलोमीटर से 1.850 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 10.73 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम तरफ पारिस्थितिकी संवेदी जोन पीढ़ियों से विद्यमान जम्मू शहर नगरपालिका की वजह से शून्य सीमा तक है।

(2) रामनगर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध -IIग और उपाबंध -IIघ के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और रामनगर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध -III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम या नगर क्षेत्र नहीं आते हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों के अनुसार और सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्य क्षेत्र विधियों के अनुरूप तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण और वन;

(ii) कृषि;

(iii) राजस्व;

(iv) शहरी विकास;

(v) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(vi) संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(vii) आवास और शहरी विकास;

(viii) ग्रामीण विकास;

(ix) लोक निर्माण और विद्युत विकास;

(x) आपदा प्रबंधन;

(xi) नगर निगम पुंछ;

(xii) शहरी योजना विभाग पुंछ; और

(xiii) पंचायती राज।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों की पुनः बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले अनुसमर्थित मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत गृहवास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी गलती को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त गलती को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्त्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटलों या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतो (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) प्राकृतिक विरासत.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातो, झरने, दर्रो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.– पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) बहिस्राव का निस्सारण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और पर्यावरण अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) ई–अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय-यातायात.- वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) यानीय प्रदूषण.- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं . (1)	क्रियाकलाप (2)	विवरण (3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।

आ .विनियमित क्रियाकलाप		
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, पुष्प कृषि, कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।

15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलापों को करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
17.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियों, दुग्ध उत्पादन जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे (अन्यथा प्रदान किए गए) ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
23.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
25.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
26.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
27.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
28.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

32.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारिगर भी है।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	
39.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं .	**निगरानी समिति का गठन**	**पद**
(i)	जिला कलक्टर या उपायुक्त	अध्यक्ष , पदेन;
(ii)	क्षेत्रीय वन्यजीव वार्डन, जम्मू क्षेत्र, जम्मू	सदस्य;
(iii)	जम्मू-कश्मीर सरकार के पर्यावरण, पारिस्थितिकी और रिमोट सेंसिंग विभाग के एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी जम्मू, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जम्मू-कश्मीर सरकार	सदस्य;
(v)	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि (मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा नामित), जम्मू - कश्मीर सरकार	सदस्य;
(vi)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ (जम्मू - कश्मीर के एक प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय संघ राज्य क्षेत्र से), जम्मू - कश्मीर सरकार	सदस्य;
(vii)	जम्मू - कश्मीर सरकार के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा नामित जैव विविधिता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि (जम्मू - कश्मीर सरकार के उपायुक्त, जम्मू द्वारा नामित), जम्मू - कश्मीर सरकार	सदस्य;
(ix)	आवास और शहरी/ ग्रामीण विकास विभाग के एक प्रतिनिधि (उपायुक्त, जम्मू द्वारा नामित), जम्मू- कश्मीर सरकार	सदस्य;
(x)	जम्मू - कश्मीर सरकार के कृषि उत्पादन विभाग के एक प्रतिनिधि को उपायुक्त, जम्मू द्वारा नामित किया जाना है	सदस्य;
(xi)	जम्मू - कश्मीर सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक प्रतिनिधि (उपायुक्त, जम्मू द्वारा नामित)	सदस्य;

(xii)	प्रादेशिक प्रभागीय वन अधिकारी, वन प्रभाग, जम्मू	सदस्य;
(xiii)	संबद्ध वन्यजीव वार्डन	सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक होगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो **पैरा 4** के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट संघ राज्य क्षेत्र सरकार के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के जून तक 30 प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार , अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/184/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध -I

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

क्र.सं.	अभयारण्य के संबंध में सीमाओं की दिशा	बिंदु	भू-निर्देशांक		टिप्पणी
			अक्षांश	देशांतर	
1	उत्तर	ए1	उ 32⁰ 48' 11.67"	पू 74⁰ 51' 32.70"	थाथेर ग्राम के चारों ओर का क्षेत्र
		बी1	उ 32⁰ 47' 31.15"	पू 74⁰ 52' 5.77"	
2	उत्तर पूर्व	सी1	उ 32⁰ 47' 1.98"	पू 74⁰ 52' 56.89"	खानपुर जेडीए कालोनी एवं पर्यावास के चारों ओर का क्षेत्र
		डी1	उ 32⁰ 46' 17.93"	पू 74⁰ 53' 42.28"	
3	पूर्व	ई1	उ 32⁰ 46' 10.35"	पू 74⁰ 53' 38.43"	तवी नदी एवं सिधरा ग्राम
		एफ1	उ 32⁰ 45' 44.30	पू 74⁰ 53' 33.91"	
4	दक्षिण पूर्व	जी1	उ 32⁰ 44' 56.49"	पू 74⁰ 53' 22.24"	तवी नदी एवं जम्मू शहर नगर पालिका क्षेत्र बहुत पहले से विकसित है।
		एच1	उ 32⁰ 44' 13.64"	पू 74⁰ 53' 23.97"	
5	दक्षिण	आई1	उ 32⁰ 45' 00.22"	पू 74⁰ 52' 16.13"	जम्मू शहर पालिका क्षेत्र बहुत पहले से विकसित है।
		जे1	उ 32⁰ 44' 50.42"	पू 74⁰ 51' 47.08"	
6	दक्षिण पश्चिम	के1	उ 32⁰ 45' 20.06"	पू 74⁰ 51' 13.26"	जम्मू शहर पालिका क्षेत्र बहुत पहले से विकसित है।
		एल1	उ 32⁰ 45' 48.74"	पू 74⁰ 51' 10.85"	
7	पश्चिम	एम1	उ 32⁰ 46' 19.70"	पू 74⁰ 51' 04.73"	जम्मू शहर पालिका क्षेत्र बहुत पहले से विकसित है।
		एन1	उ 32⁰ 48' 41.94"	पू 74⁰ 51' 16.41"	
8	उत्तर पश्चिम	ओ1	उ 32⁰ 46' 45.79"	पू 74⁰ 50' 42.80"	जम्मू शहर पालिका क्षेत्र एवं केरन बस्ती बहुत पहले से विकसित है।
		पी1	उ 32⁰ 47' 56.10"	पू 74⁰ 50' 55.93"	

उपाबंध - IIक

रामनगर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र

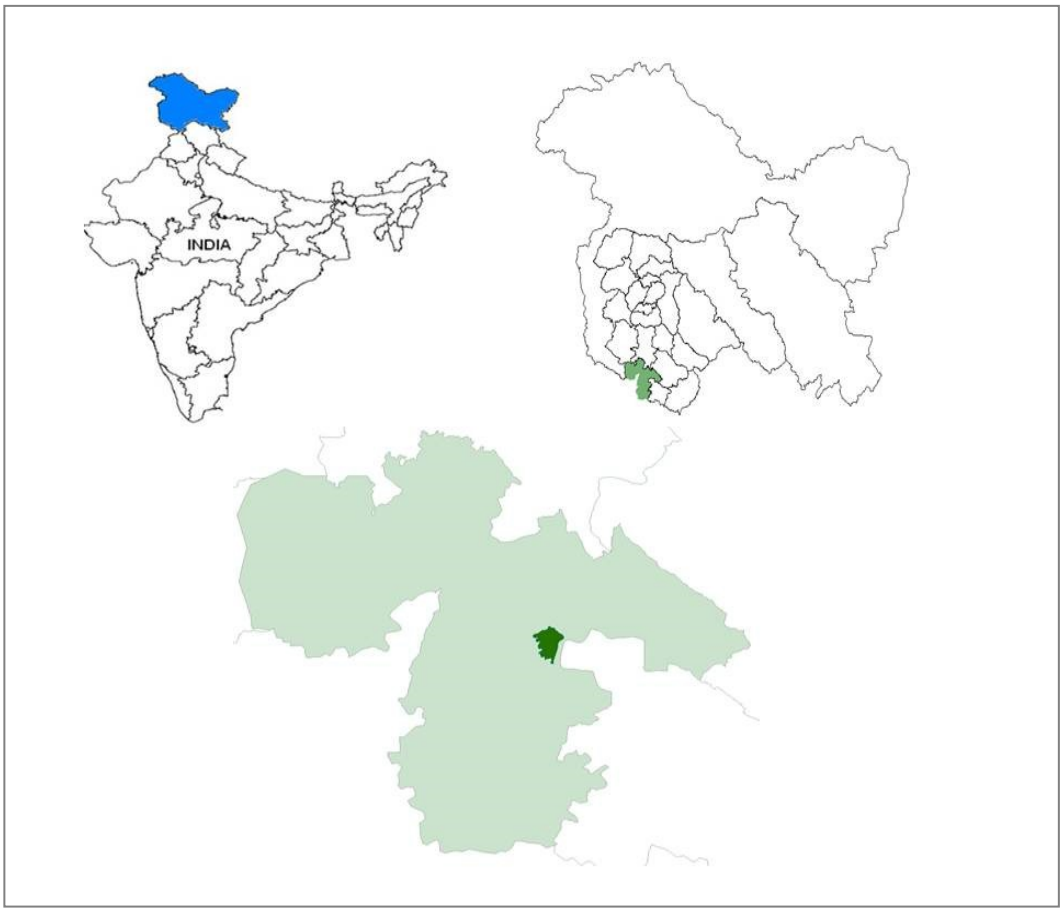

उपाबंध -IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

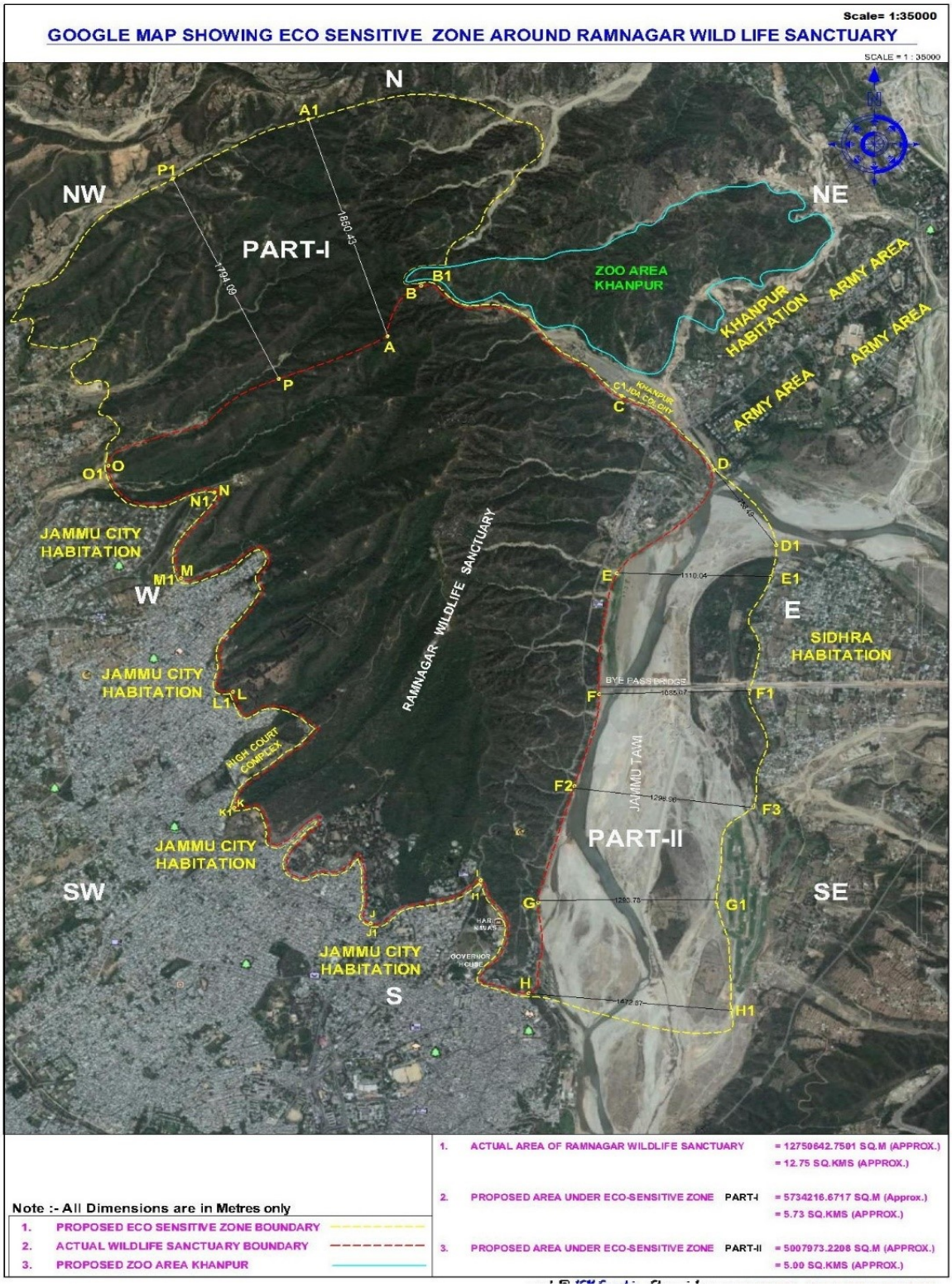

उपाबंध - IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट के रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का स्थलाकृतिक मानचित्र

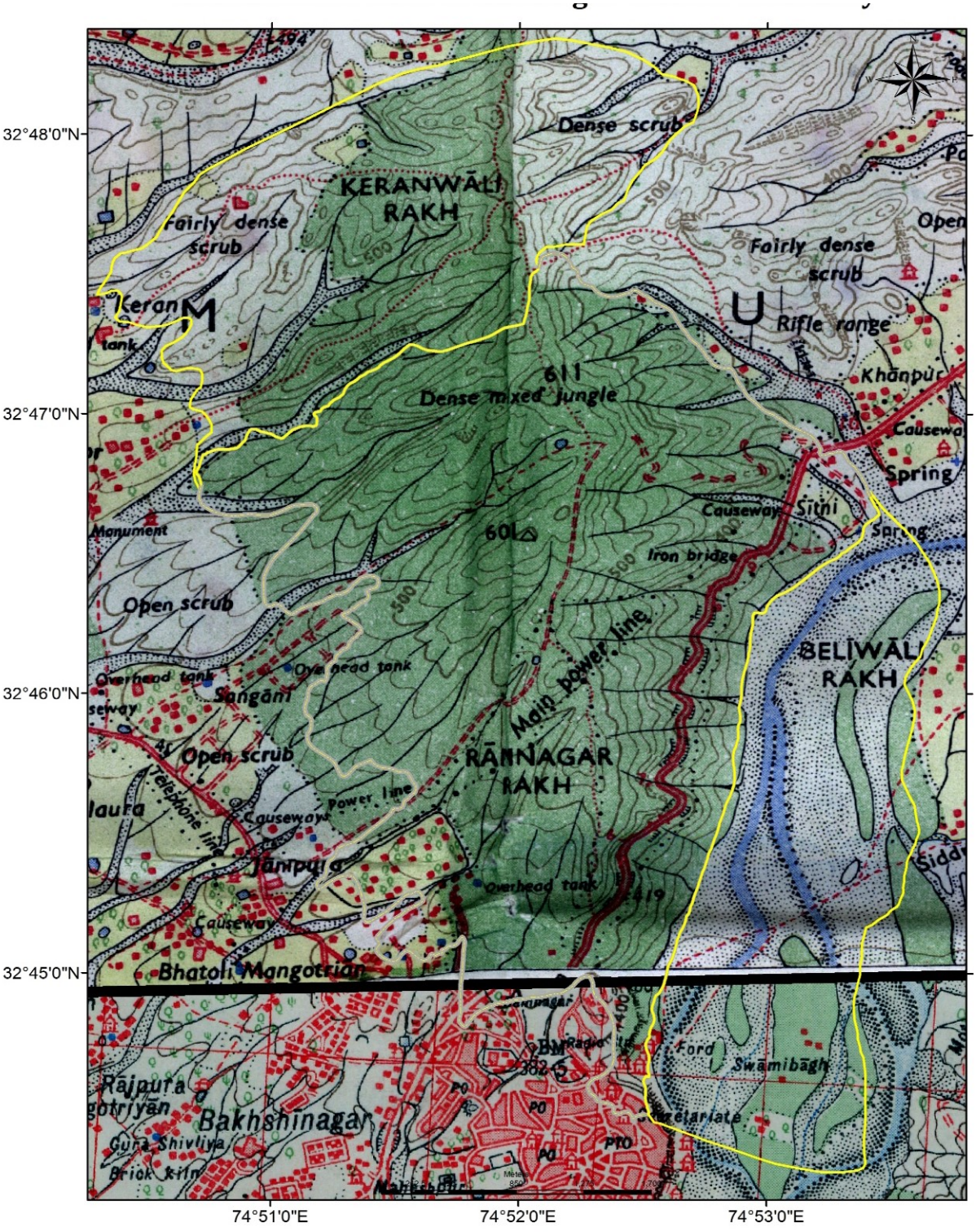

उपाबंध - IIघ

रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र

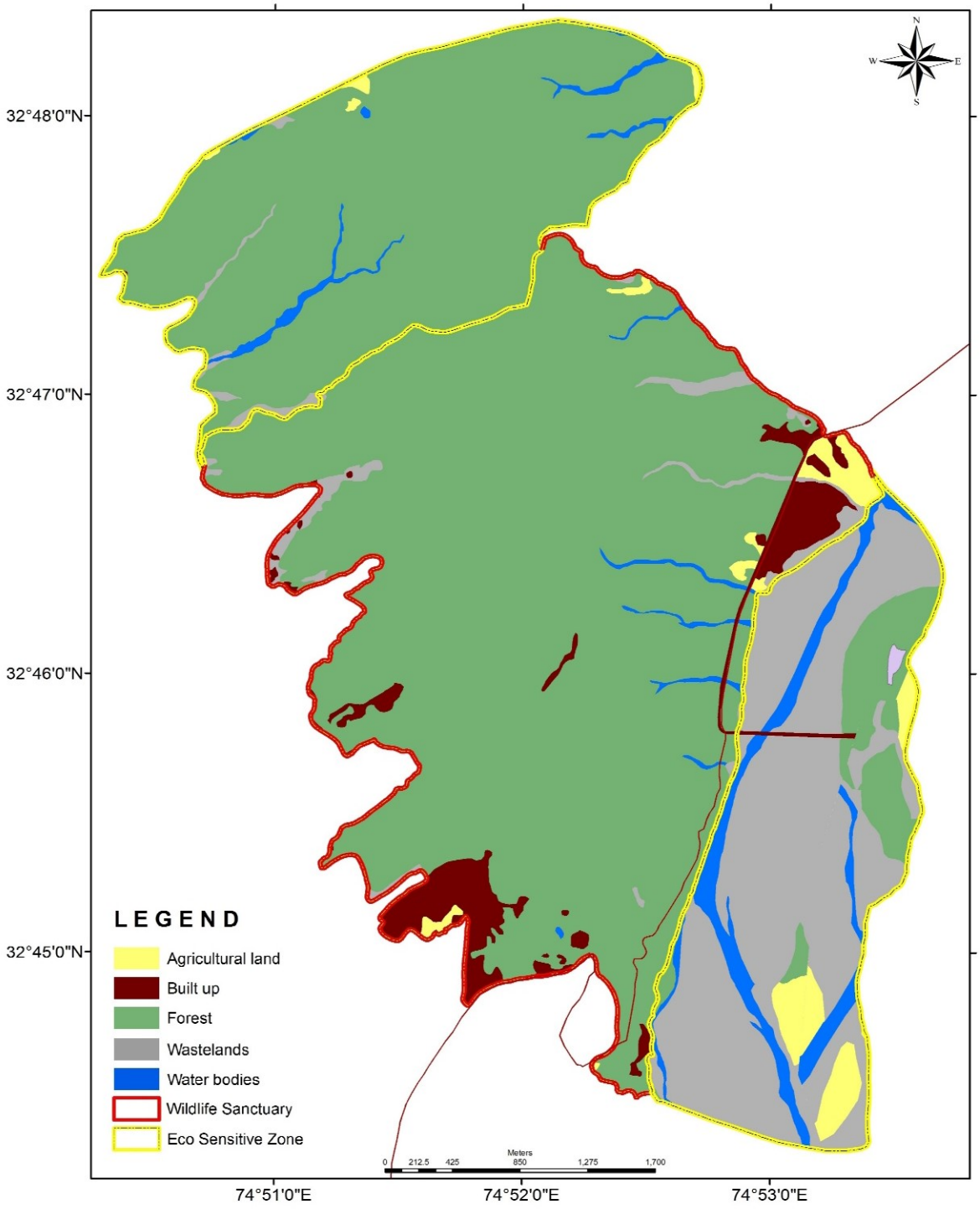

उपाबंध -III

सारणी क : रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	**पहचान मुख्य बिंदु**	**मुख्य बिंदु के अवस्थान / दिशा**	**भू-निर्देशांक**	
			अक्षांश	***देशांतर***
1	ए	**उत्तर**	32^0 47' 18.37'' उ	74^0 51' 57.16''पू
	बी		32^0 47' 31.15'' उ	74^0 52' 5.77''पू
2	सी	**उत्तर पूर्व**	32^0 47' 1.98'' उ	74^0 52' 56.89''पू
	डी		32^0 46' 38.87'' उ	74^0 53' 25.04''पू
3	ई	**पूर्व**	32^0 46' 16.36'' उ	74^0 52' 58.36''पू
	एफ		32^0 45' 42.62'' उ	74^0 52' 50.98''पू
4	जी	**दक्षिण पूर्व**	32^0 44' 52.03'' उ	74^0 52' 31.55''पू
	एच		32^0 44' 37.02'' उ	74^0 52' 29.65''पू
5	आई	**दक्षिण**	32^0 45' 00.22'' उ	74^0 52' 16.13''पू
	जे		32^0 44' 50.42'' उ	74^0 51' 47.08''पू
6	के	**दक्षिण पश्चिम**	32^0 45' 20.06'' उ	74^0 51' 13.26''पू
	एल		32^0 45' 48.74'' उ	74^0 51' 10.85''पू
7	एम	**पश्चिम**	32^0 46' 19.70'' उ	74^0 51' 04.73''पू
	एन		32^0 48' 41.94'' उ	74^0 51' 16.41''पू
8	ओ	**उत्तर पश्चिम उत्तर**	32^0 46' 45.79'' उ	74^0 50' 42.80''पू
	पी		32^0 47' 08.93'' उ	74^0 51' 30.01''पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	पहचान मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु के अवस्थान / दिशा	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	*देशांतर*
1	ए1	उत्तर	32⁰ 48' 11.67"उ	74⁰ 51' 32.70"पू
	बी1		32⁰ 47' 31.15"उ	74⁰ 52' 5.77"पू
2	सी1	उत्तर पूर्व	32⁰ 47' 1.98"उ	74⁰ 52' 56.89"पू
	डी1		32⁰ 46' 17.93"उ	74⁰ 53' 42.28"पू
3	ई1	पूर्व	32⁰ 46' 10.35"उ	74⁰ 53' 38.43"पू
	एफ1		32⁰ 45' 44.30"उ	74⁰ 53' 33.91"पू
4	जी1	दक्षिण पूर्व	32⁰ 44' 56.49"उ	74⁰ 53' 22.24"पू
	एच1		32⁰ 44' 13.64"उ	74⁰ 53' 23.97"पू
5	आई1	दक्षिण	32⁰ 45' 00.22"उ	74⁰ 52' 16.13"पू
	जे1		32⁰ 44' 50.42"उ	74⁰ 51' 47.08"पू
6	के1	दक्षिण पश्चिम	32⁰ 45' 20.06"उ	74⁰ 51' 13.26"पू
	एल1		32⁰ 45' 48.74"उ	74⁰ 51' 10.85"पू
7	एल1	पश्चिम	32⁰ 46' 19.70"उ	74⁰ 51' 04.73"पू
	एन 1		32⁰ 48' 41.94"उ	74⁰ 51' 16.41"पू
8	ओ 1	उत्तर पश्चिम	32⁰ 46' 45.79"उ	74⁰ 50' 42.80"पू
	पी1		32⁰ 47' 56.10"उ	74⁰ 50' 55.93"पू

उपाबंध-IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

S.O.2128(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 3582 (E), dated the 13th October 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 13th October 2020;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

WHEREAS, Ramnagar Wildlife Sanctuary falls within the civil jurisdiction of Jammu City Tehsil, District Jammu in the Union territory of Jammu and Kashmir and comprises of compartments 1 to 4 of the Ramnagar block of Jammu Forest Division. Ramnagar Wildlife Sanctuary located on the northern fringe of Jammu city is a small green patch of forest which is valued as the only green lung of the city. The Sanctuary was notified *vide* Govt. Order No.136 dated the 10th April, 1990. It is under the administrative control of Department of Wildlife Protection, Jammu and Kashmir Government and is managed through Wildlife Division Jammu. The Sanctuary comprising of compartments 1,2,3 and 4 of Ramnagar Block of Ramnagar Range of Jammu Forest Division and covers an area of 12.75 square kilometers (31.5 square kilometers as per the S.R.O). The area comprises of demarcated forest and is roughly wedge shaped. The area is surrounded by habitations and faces heavy biotic pressure. This wildlife protected area is repository of rich assemblage of floral and faunal diversity;

AND WHEREAS, according to a recent floral study the Ramnagar Wildlife Sanctuary houses more than 195 species of plants including herbs, shrubs, climbers and tree. A comparative study of phyto-diversity shows that this small patch of forest is much more diverse and rich than surrounding forest areas of Jammu. The faunal species, some of which include common Indian leopard, barking deer, wild boar, nilgai, porcupine, red jungle fowl, peafowl, python, russell viper and cobra, owe their existence and protection to this patch of wildlife protected area;

AND WHEREAS, the area is covered with mixed scrub forests with occasional chir trees. The vegetation of the Sanctuary as per the revised classification by Champion and Seth and comes under the major group "Sub-tropical Northern Mixed Dry Deciduous Forests." A variety of sub-tropical broad leaved trees and shrubs are found in the Sanctuary, the dominant among them being *Acacia modesta*. The main flora available in the Sanctuary are phullai *(Acacia modesta*), babul *(Acacia nilotica), Khair (Acacia catechu),* haldin (*Adina cardifolia*), bael (*Aegle marmelos*), siris *(Albizzia lebbeck),* khanwal *(Bauhinia purpurea),* silk cotton tree (*Bombax ceiba*), shisham (*Dalbergia sissoo*), toon (*Toona ciliata*), ber (*Ziziphus mauritiana*), etc;

AND WHEREAS, the mammal species found in the Ramnagar Wildlife Sanctuary are nilgai (*Boselaphus traglocamelus)* spotted deer (*Axis axis*), barking deer (*Muntiacus muntejak*), rhesus monkey (*Macaca mulatta*), jackal (*Canis aureus*), hare (*Lepus nigricollis*), porcupine (*Hystrix indica*), wild boar (*Sus scrofa*), mongoose (*Herpestes edwardsii),* etc. While avifauna recorded from the protected area are white backed or Bengal vulture (*Gyps bengalensis*), shikra *(Accipiter badius),* blue rock dove (*Columba livia*), koel *(Endynamyus scolopacea), green barbet (Magalaima zeylanica),* house swift (*Apus affinus*), small green bee-eater (*Merops orientalis*), common wood shrike *(Tephrodorinis pondicerianus)*, white checked bulbul (*Pycnonotus leucogenys*), Tickell's frower pecker (*Diceum erythrorhyncha*), pied bush chat (*Saxicola caprata*) white eye (*Zosterops palperbrosa*), etc. Reptiles such as Russell's earth boa (*Eryx conicus*), John's earth boa *(Eryx johnii*), Indian python (*Python molurus molurus*), cat snake (*Boiga trigonata*), common Indian krait (*Bungarus caeruleus),* russell viper (*Vipera russelli*), etc. while butterflies species such as *Papilio demoleus demoleus, Papilio polytes romulous, Parnassius delphius alkinsoni, Danaus limiace leopardus, Pieris brassicae, Catopsilia pyranthe pyranthe, Mycalesis mineus mineus, Ypthisma ceylonica huebneci, Phalanta phalantha phalantha, Euthalia aconthea,* etc. are recorded from the protected area;

AND WHEREAS, keeping in view the expansion of Jammu city and increasing pressure on the natural resources the threat looming large over the remaining residual forest patches around this wildlife protected area is understandable. At the same time considering the interests of stakeholders and thickly populated Jammu town, sustainable use of natural resources has to be given due consideration. The policy of the government to have shock-absorbing protective covers around Wildlife Protected Areas providing corridors to ensure dispersal and movement of wild animals for food, shelter, procreation and safeguard of biodiversity has been further strengthened by the Supreme Court's directions;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Ramnagar Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1.850 kilometres around the boundary of Ramnagar Wildlife Sanctuary, in Jammu district in the Union territory of Jammu and Kashmir as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.–** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) kilometre to 1.850 kilometres around the boundary of Ramnagar Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 10.73 square kilometres. *Zero extent of Eco-sensitive Zone towards south, south-west and west side is due to the existing Jammu city municipal area prevailing since generations.*

   (2) The boundary description of Ramnagar Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Ramnagar Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

   (4) List of geo-coordinates of the boundary of Ramnagar Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

   (5) There is no village or township falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Ramnagar Wildlife Sanctuary.

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The Union territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of Union territory.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

      (i) Environment and Forest;

      (ii) Agriculture;

      (iii) Revenue;

      (iv) Tourism;

      (v) Irrigation and Flood Control;

      (vi) Union territory Pollution Control Board.

      (vii) Housing and Urban Development;

(viii) Rural Development;

(ix) Public Works and Power Development;

(x) Disaster Management;

(xi) Municipal Corporation Poonch;

(xii) Department of Town Planning Poonch; and

(xiii) Panchayati Raj.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union territory Government.- The Union territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union territory Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union territory Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Government, after obtaining the views of Monitoring

Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Union territory Department of Tourism in consultation with Union territory Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by Union territory Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the Union territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco Sensitive Zone; (b) the mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive

		Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any; (b) beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the Union territory Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or Union territory Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.

18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Open Well, Bore Well etc for agriculture or other usage.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector or Deputy Commissioner	Chairman, ex officio;
(ii)	Regional Wildlife Warden, Jammu Region, Jammu	Member;

(iii)	A Representative of Department of Environment, Ecology and Remote Sensing, Government of Jammu and Kashmir	Member;
(iv)	Regional Officer Jammu, State Pollution Control Board, Government of Jammu and Kashmir	Member;
(v)	A representative of Non- Government Organization working in the field of Wildlife conservation (to be nominated by the Chief Wildlife Warden), Government of Jammu and Kashmir	Member;
(vi)	One expert in the field of Ecology and Environment(from a reputed Institute or University of UT of Jammu & Kashmir), Government of Jammu and Kashmir	Member;
(vii)	An expert in Biodiversity nominated by the Chief Wildlife Warden, Government of Jammu and Kashmir	Member;
(viii)	A representative of Revenue Department (to be nominated by the Deputy Commissioner, Jammu), Government of Jammu and Kashmir.	Member;
(ix)	A representative of Housing &Urban/Rural Development Department (to be nominated by the Deputy Commissioner, Jammu), Government of Jammu and Kashmir	Member;
(x)	A representative of Agriculture Production Department of Jammu and Kashmir Government to be nominated by the Deputy Commissioner, Jammu	Member;
(xi)	A representative of Irrigation and Flood Control Department (to be nominated by the Deputy Commissioner, Jammu) Government of Jammu and Kashmir	Member;
(xii)	Territorial Divisional Forest Officer, Forest Division, Jammu	Member;
(xiii)	Concerned Wildlife Warden	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the Union territory Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union territory as per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures.- The Central Government and Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/184/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY IN THE UNION TERRITORY JAMMU AND KASHMIR

S. No	Direction w.r. t boundaries of the Sanctuary	Point	Geo-coordinates		Remarks
			Latitude	Longitude	
1	North	A1	N 32^0 48' 11.67''	E 74^0 51' 32.70''	Area surrounded by Thather village
		B1	N 32^0 47' 31.15''	E 74^0 52' 5.77''	
2	North East	C1	N 32^0 47' 1.98''	E 74^0 52' 56.89''	Area surrounded by Khanpur JDA colony & habitation.
		D1	N 32^0 46' 17.93''	E 74^0 53' 42.28''	
3	East	E1	N 32^0 46' 10.35''	E 74^0 53' 38.43''	River Tawi & Sidhra village.
		F1	N 32^0 45' 44.30	E 74^0 53' 33.91''	
4	South East	G1	N 32^0 44' 56.49''	E 74^0 53' 22.24''	River Tawi & Jammu city municipal area already developed from generations.
		H1	N 32^0 44' 13.64''	E 74^0 53' 23.97''	
5	South	I1	N 32^0 45' 00.22''	E 74^0 52' 16.13''	Jammu city municipal area already developed from generations.
		J1	N 32^0 44' 50.42''	E 74^0 51' 47.08''	
6	South West	K1	N 32^0 45' 20.06''	E 74^0 51' 13.26''	--do--
		L1	N 32^0 45' 48.74''	E 74^0 51' 10.85''	
7	West	M1	N 32^0 46' 19.70''	E 74^0 51' 04.73''	--do--
		N1	N 32^0 48' 41.94''	E 74^0 51' 16.41''	
8	North West	O1	N 32^0 46' 45.79''	E 74^0 50' 42.80''	Jammu city municipal area already developed from generations & Keran habitation.
		P1	N 32^0 47' 56.10''	E 74^0 50' 55.93''	

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

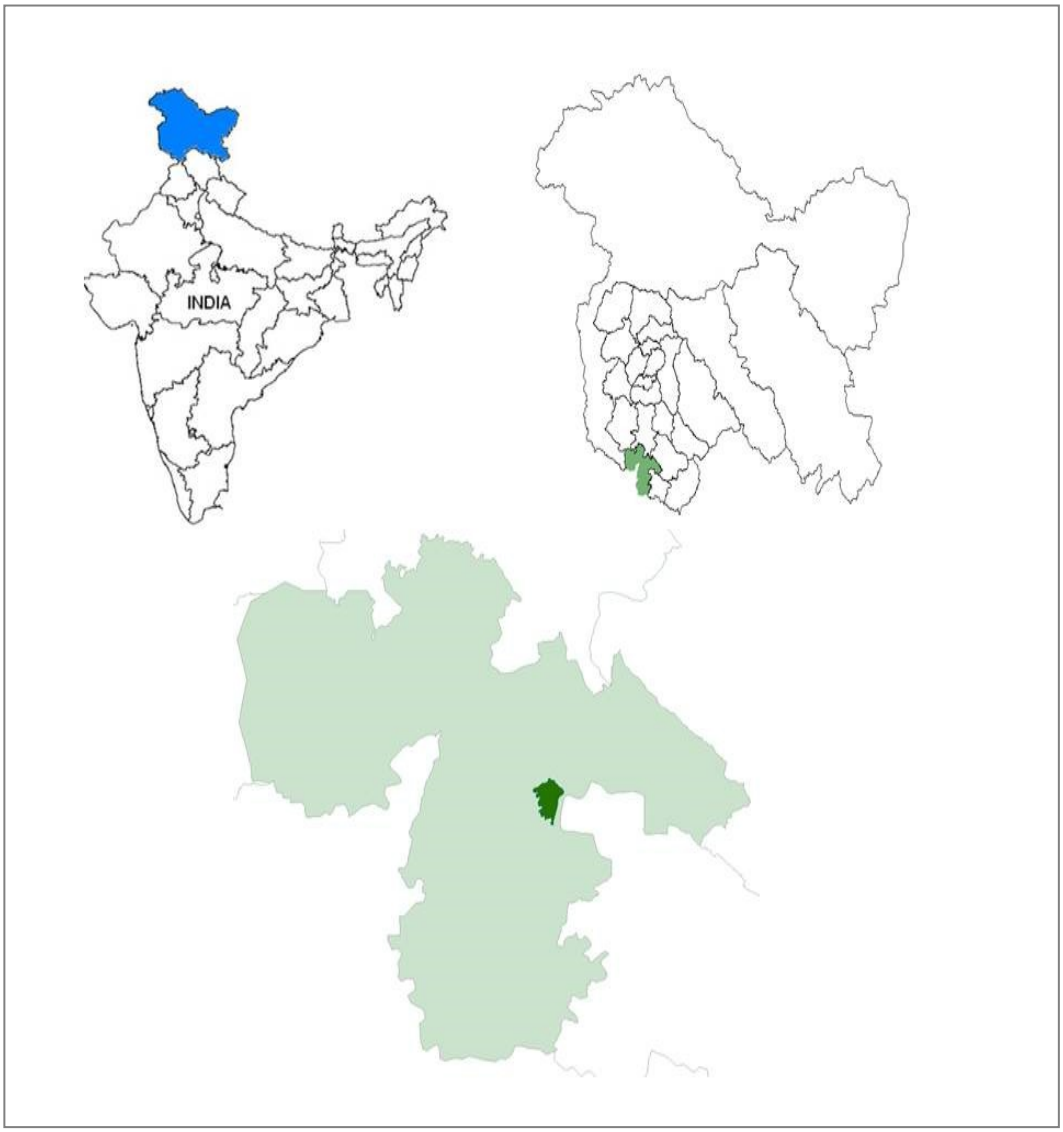

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

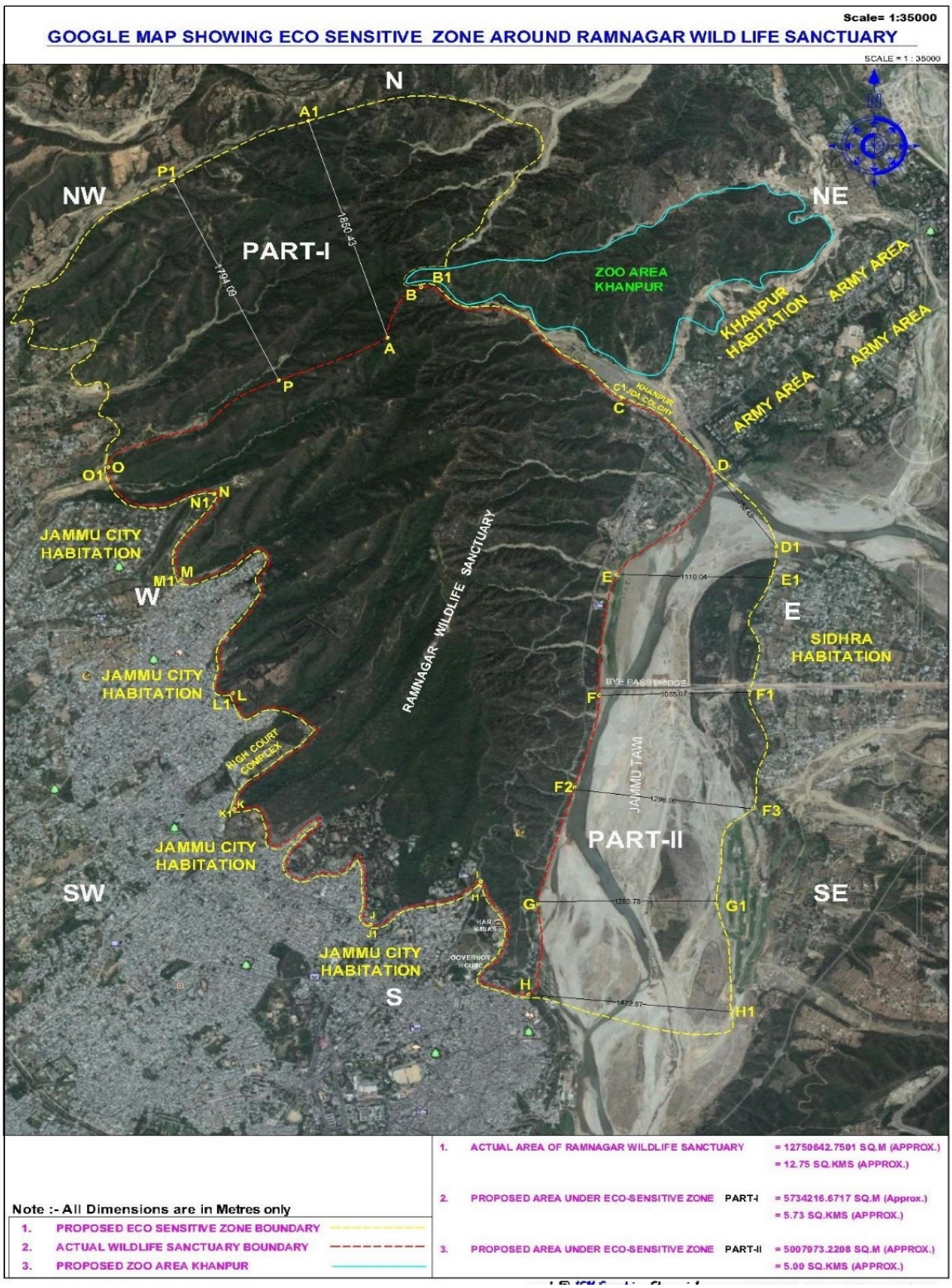

ANNEXURE- IIC

TOPOGRAPHIC MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

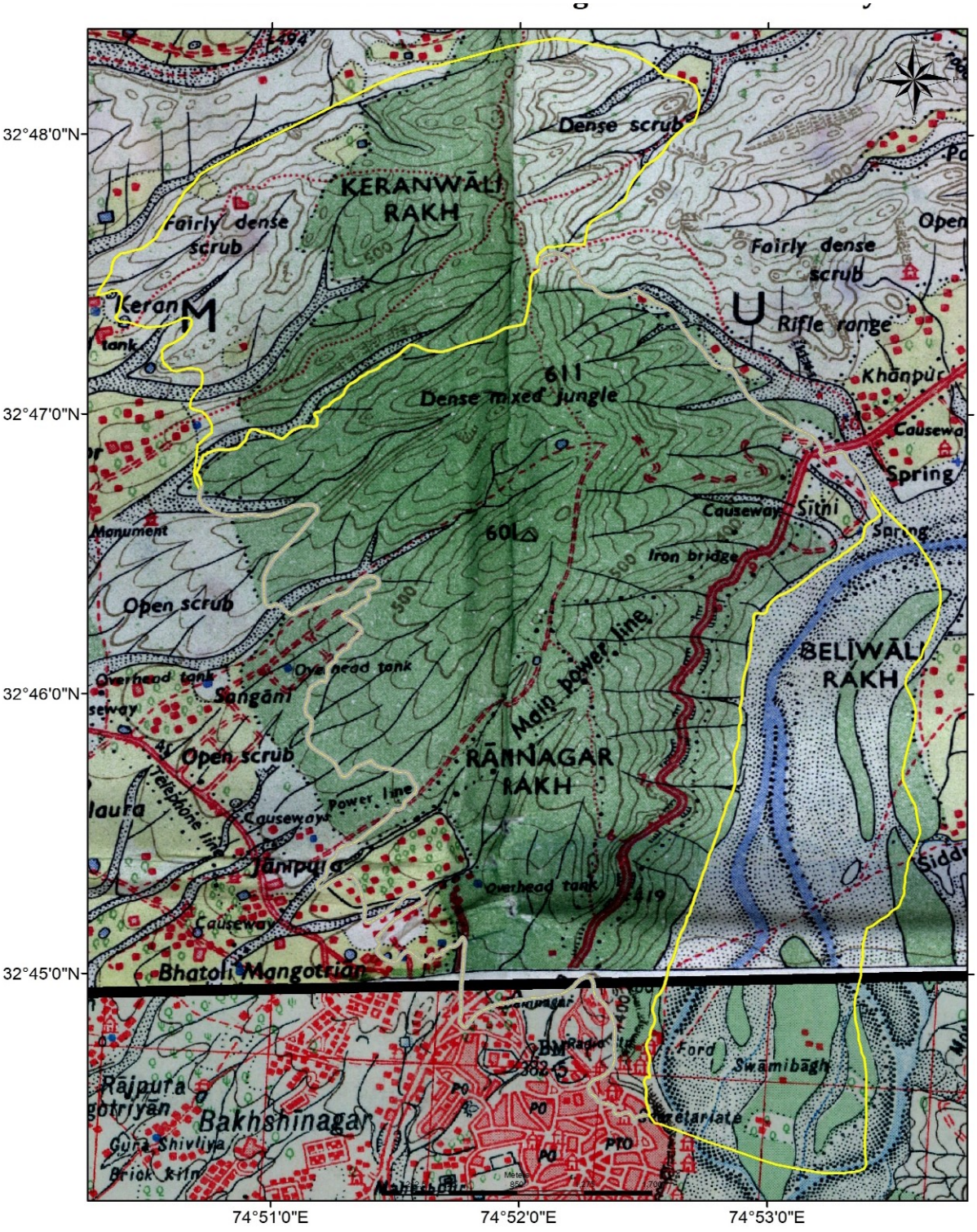

ANNEXURE- IID

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY

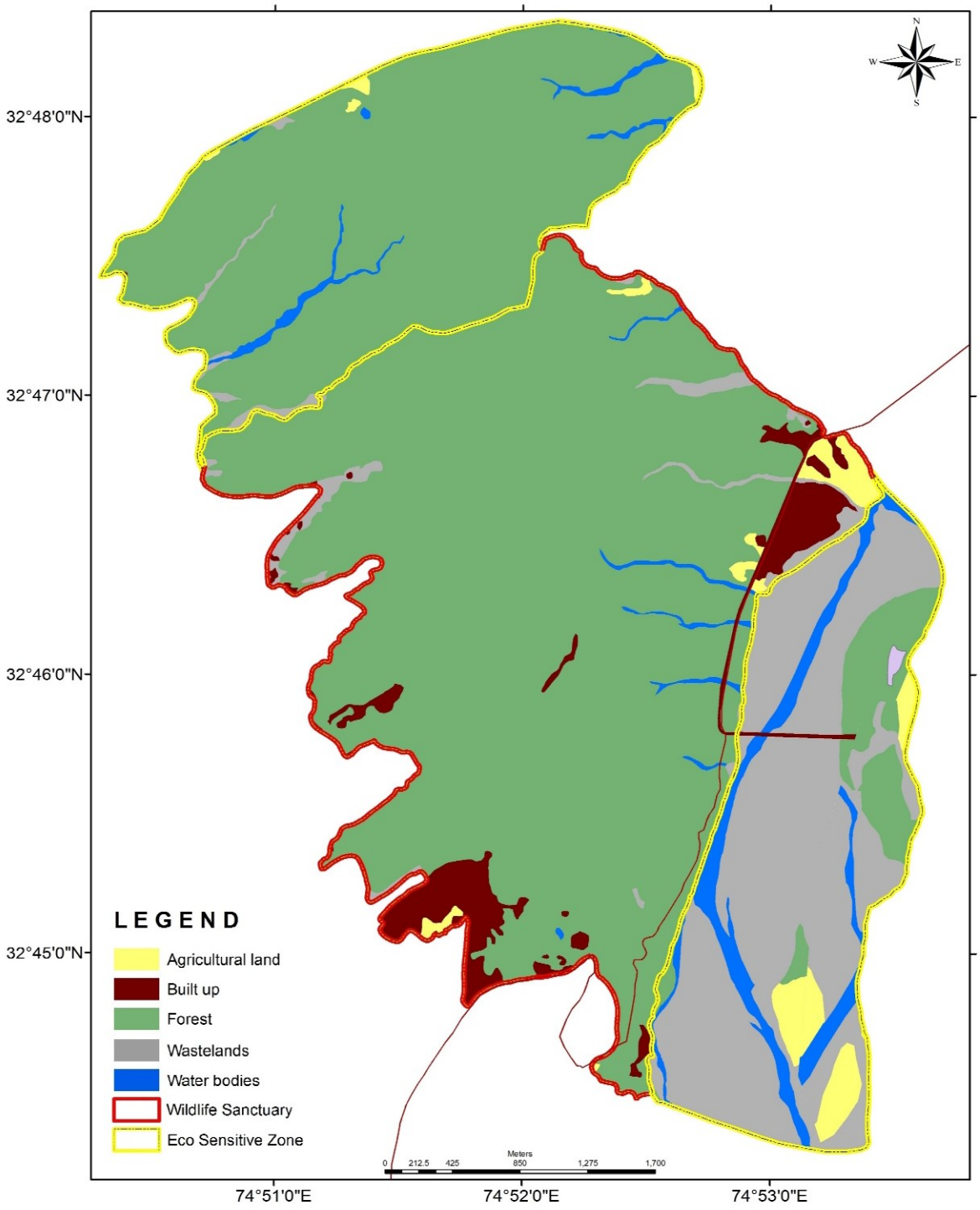

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY

S. No	Identification Prominent Points	Location / Direction of Prominent point	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	A	**North**	32^0 47’ 18.37’’ N	74^0 51’ 57.16’’E
	B		32^0 47’ 31.15’’ N	74^0 52’ 5.77’’E
2	C	**North East**	32^0 47’ 1.98’’ N	74^0 52’ 56.89’’E
	D		32^0 46’ 38.87’’ N	74^0 53’ 25.04’’E
3	E	**East**	32^0 46’ 16.36’’ N	74^0 52’ 58.36’’E
	F		32^0 45’ 42.62’’ N	74^0 52’ 50.98’’E
4	G	**South East**	32^0 44’ 52.03’’ N	74^0 52’ 31.55’’E
	H		32^0 44’ 37.02’’ N	74^0 52’ 29.65’’E
5	I	**South**	32^0 45’ 00.22’’ N	74^0 52’ 16.13’’E
	J		32^0 44’ 50.42’’ N	74^0 51’ 47.08’’E
6	K	**South West**	32^0 45’ 20.06’’ N	74^0 51’ 13.26’’E
	L		32^0 45’ 48.74’’ N	74^0 51’ 10.85’’E
7	M	**West**	32^0 46’ 19.70’’ N	74^0 51’ 04.73’’E
	N		32^0 48’ 41.94’’ N	74^0 51’ 16.41’’E
8	O	**North West**	32^0 46’ 45.79’’ N	74^0 50’ 42.80’’E
	P		32^0 47’ 08.93’’ N	74^0 51’ 30.01’’E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No	Identification Prominent Points	Location / Direction of Prominent point	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	A1	North	32^0 48' 11.67''N	74^0 51' 32.70''E
	B1		32^0 47' 31.15''N	74^0 52' 5.77''E
2	C1	North East	32^0 47' 1.98''N	74^0 52' 56.89''E
	D1		32^0 46' 17.93''N	74^0 53' 42.28''E
3	E1	East	32^0 46' 10.35''N	74^0 53' 38.43''E
	F1		32^0 45' 44.30''N	74^0 53' 33.91''E
4	G1	South East	32^0 44' 56.49''N	74^0 53' 22.24''E
	H1		32^0 44' 13.64''N	74^0 53' 23.97''E
5	I1	South	32^0 45' 00.22''N	74^0 52' 16.13''E
	J1		32^0 44' 50.42''N	74^0 51' 47.08''E
6	K1	South West	32^0 45' 20.06''N	74^0 51' 13.26''E
	L1		32^0 45' 48.74''N	74^0 51' 10.85''E
7	M1	West	32^0 46' 19.70''N	74^0 51' 04.73''E
	N1		32^0 48' 41.94''N	74^0 51' 16.41''E
8	O1	North West	32^0 46' 45.79''N	74^0 50' 42.80''E
	P1		32^0 47' 56.10''N	74^0 50' 55.93''E

ANNEXURE –IV

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.02 17:58:12 +05'30'